कार्यालय–अधीक्षक, अपचारी एवं बालिका गृह, बाल अधिकारिता विभाग, महिला पुलिस थाने के पास, नारी निकेतन परिसर, पवनपुरी बीकानेर दूरभाष नं.–0151–2242066

क्रमांक–बा.अ.वि / निविदा / 2017–18 / दिनांकः–

निविदा सूचना

अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा राजस्थान सरकार की और से इस संस्था के आवासियों के उपयोग हेतु खाद्य सामग्री वित्तीय वर्ष 2017–18 (दिनांक 31.3.2018 तक) के लिए सप्लाई हेतु मोहर बंद निविदाएं दिनांक **25.4.2017** को दोपहर 12:00 बजे तक आमंत्रित एवं प्राप्त निविदाएं दिनांक **25.04.2017 को 3:00** बजे इसी कार्यालय में खोली जायेगी । जो भी निविदादाता उपस्थित रहना चाहते हैं उपस्थित रह सकते हैं ।

क्र.सं	नाम संस्था	अनुमानित व्यय	धरोहर राशि	अमानत राशि	निविदा प्रारूप का निर्धारित मूल्य
1.	अधीक्षक, अपचारी एवं बालिका गृह, बाल अधिकारिता विभाग, महिला पुलिस थाने के पास, पवनपुरी, बीकानेर	6.00 लाख	30000	12000	400/--

ACP
कंप्यूटरीकरण
21
8-4-17

निविदा प्रारूप निर्धारित शुल्क जमा करवाकर किसी भी कार्यदिवस में दिनांक **24.04.2017 को दोपहर** 1:00 **बजे** तक इस कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। धरोहर राशि रोकड/ड्राफट/चालान द्वारा जमा करवाकर रसीद निविदा के साथ प्रस्तुत करनी होगी । निविदा के साथ सामग्री के नमूने देना अनिवार्य है । धरोहर राशि के अभाव में निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा । अद्योहस्ताक्षरकर्ता को सभी निविदा को बिना कोई कारण बताये रदद करने का अधिकार होगा । अनुमानित व्यय राशि आवासियों की संख्या के अनुसार घट बढ भी सकती है ।

A.O (A)
8378
31/3/17

(किशनाराम लोल)
अधीक्षक
अपचारी एवं बालिका गृह
बाल अधिकारिता विभाग
बीकानेर

क्रमांक–बा.अ.वि / निविदा / 2016–17 / 2921–27 दिनांकः– 28/3/17

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है :–

1. श्रीमान निदेशक महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर को भेज कर निवेदन है कि विभागीय साईड पर प्रकाशन करवाने का श्रम करावें।
2. श्रीमान आयुक्त महोदय, बाल अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर ।
3. श्रीमान निदेशक, जनसम्पर्क विभाग राज. जयपुर को भेज कर निवेदन है कि निविदा आमंत्रित दिनांक 25.04.2017 से 15 दिन पूर्व एक क्षेत्रिय दैनिक समाचार पत्र में सूचना प्रकाशित कराने का श्रम करावें ।
4. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, बीकानेर
5. श्रीमान उप निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग एवं जिला बाल संरक्षण ईकाई, बीकानेर को भेज कर निवेदन है कि कार्यालय के सूचना सहायक द्वारा **एस.एस.पी.** पोर्टल पर प्रकाशित करवाने का श्रम करावें।
6. नोटिस बोर्ड
7. गार्ड पत्रावली

28-3-17

(किशनाराम लोल)
अधीक्षक
अपचारी एवं बालिका गृह
बाल अधिकारिता विभाग
बीकानेर

local dish office santosh nivida

कार्यालय–अधीक्षक, अपचारी एवं बालिका गृह, बाल अधिकारिता विभाग, महिला पुलिस थाने के पास, नारी निकेतन परिसर, पवनपुरी बीकानेर दूरभाष नं.–0151–2242066

निविदा–प्रपत्र

(खादय सामग्री)

निविदा देने वाली फर्म का नाम
एवं पुरा पता जमा
....
....
....

निविदा शुल्क रूपये 400/–
सी.आर नं.

अधीक्षक
अपचारी एवं बालिका गृह
बाल अधिकारिता विभाग
बीकानेर
(लघु हस्ताक्षर अधिकारी)

क.स.	नाम वस्तु	दर अंको मे	दर शब्दो मे
1.	गेंहू का आटा क्वालिटी		
2.	तेल मूंगफली/रिफाइन्ड रामदेव ब्रांड		
3	तेल सरसो इंजन मार्का		
4	तेल खोपरा के.एम.पी		
5.	दाल उडद छिलका		
6.	दाल चना		
7	दाल मसूर छिलका		
8	दाल मूंग छिलका		
9	राजगा		
10	चना		
11	दलिया		
12	मिर्च लाल पिसी हुई		
13	हल्दी पिसी हुई		
14	जीरा साफ		
15	धनिया पिसा हुआ		
16	अजवाईन		
17	नमक टाटा		
18	गुड लडडू		
19	मूंगफली		
20	चीनी दानेदार		
21	चावल परमल		
22	दाल अरहर छिलका		
23	रसगुल्ले		
24	बूंदी के लडडू देशी घी के		
25	मावे की बर्फी		
26	बिस्कुट गुडडे/20–20		
27	पोहा		
28	माचिस बाबा		
29	घी शुद्व सरस		
30	दुध डेयरी का सील्ड थैली		
31	दही डेयरी सील्ड थैली		

local dish office santosh nivida

32	छाछ		
33	पनीर रारस		
34	दलिया गेंहू		
35	काली मिर्च		
36	अदरक		
37	लहसुन, प्याज		
38	फल मौसम के अनुसार 1 रान्तरा		
	2 अंगूर		
	3 पपीता		
	4 अमरूद		
	5 केला		
	6 सेव		
	7 चीकु		
	8 अनार		
	9 आम		
	10 तरबूज / मतीरा / खरबुजा		
39	हरी सब्जी पत्तेदार		
40	हरी सब्जी बिना पत्तेदार		
41	तेल नारीयल 100 ग्राम प्रति नग		
42	साबुन स्नान लक्स, लायबोय		
43	साबुन कपडे धोने का व्हील टिकिया		
44	विम बार		
45	शेम्पू पाउच--		
46	नमक तेजाब		
47	सर्फ व्हील, निरमा		
48	फिनाईल बोतल		
49	हारपीक बडी बोतल		
50	बर्तन धोने का झावा		
51	फुल झाडु		
52	सिंक झाडु		
53	कोलगेट 50 ग्राम		
54	स्टेफरी		
55	चायपति		
56			

1. इन्डेन्ट प्राप्त होने के 7 दिन के भीतर --भीतर माल आपके गोदाम तक पहुंचा दिया जायेगा
2 उपरोक्त सामग्री के नमुने संलग्न है। माल उत्त्म किस्म का होगा ।
3 अमानत राशि रूपये--12000/--अंको रूपये बारह हजार हजार मात्र जरिये आर. नम्बर/डाफट न./चालान न.............
..................दिनांक.........................के द्वारा करा दिए गये है।
4 निविदा शर्तो पढकर उन पर हस्ताक्षर कर दिए गए है। एक प्रति संग्लन है।

हस्ताक्षर निविदा देने वाले के

local dish office santosh nivida

निविदा एवं सविदा की शर्ते

सूचनाः— निविदा भरने वालो के लिए कॉटेशन भरते समय इन शर्तो का सावधानी पूर्वक अध्ययन कर लेना चाहिए—

1. कोटेश्न को ठीक प्रकार से मोहर बन्द लिफाफें में , जैसा कि निविदा नोटिस में निर्देश दिया गया है, संलग्न किया जाना चाहिए।

2. दरों की यूनिट का किसी भी दशा में परिवर्तन नही किया जाना चाहिये तथा दरों का इन्द्राज अंकों व शब्दों मे किया जाना चाहियें ।

3. निविदा केवल उन्ही फर्मो / व्यापारियों द्वारा किये जाने चाहिये, जो या तो उन वस्तुओं / सामानों / मशीनों आदि के लिए रजिस्टर्ड / या अनुमोदित वितरक हो या उनके द्वारा दिये जाने चाहिये जो वास्तव में उस सामान को बेचता हो, जिसके लिए उन्होंने निविदा दिया है।

4. ठेकेदार अपने ठेके या उसके किसी मूल भाग को किसी अन्य एजेन्सी के लिए नही देगा, न उससे करवायेगा।

5. वितरण की गई वस्तुए उनके लिए निर्धारित विशेष विवरणों, ट्रेडमार्क के अनुसार एवं अनुमोदित स्टेन्डर्ड सेम्पिल से पूर्णतः मिलती हुई सर्वोतम किस्म की होगी एवं किसी ऐसे अन्य पदार्थो के मामले में जिनकी के स्टेन्डर्ड या अनुमोदित सपलाई न हो , उस हालत में वितरण की सामग्री बहुत उत्तम किस्म की होगी और उसका विवरण भारत में उपलब्ध हो सकेगा। सामान की किस्म के बारे स्वीकृत प्रदान करने वाले मान्य होगा । यदि वितरण की गयी वस्तुएं अनुमोदित नही की जाती है एवं इस प्रकार जो वस्तुएं रद्द करने योग्य परिवर्तित करने योग्य होगी एवं इस प्रकार के वितरित माल के रद्द करने से उसको परिवर्तित करने में यदि व्यय या हानि होगी, वह सब निविदा देने वाले का सहन करनी पडेगी।

6. यदि अनुमोदित क्वालिटी , मेक या साइज से भिन्न अन्य माल सप्लाई किया जाता है तो वे रद्द किये जायेगें तथा बिना अतिरिक्त मूल्य के एक निश्चित अवधि के भीतर—भीतरं वितरक द्वारा बदलने होगें । यदि राजकीय कार्य या हित की आवश्यकता के कारण उन्हे परिवर्तित करना संभव न हो तो ऐसे माल की कीमतें उचित रूप से कम कर दी जावेगी। खरीद करने वाले अधिकारी द्वारा निश्चित की गई कीमतें अन्तिम होगीं।

7. रद्द किया गया माल उसके रद्द किये जाने की सूचना प्राप्त करने की तारीख से निविदा देने वाले द्वारा उस स्थान से सात दिन के भीतर हटा लिया जाना चाहिए। संबन्धित राज्य कर्मचारी ऐसे माल की सम्भाल के लिए उचित सावधानी बरतेंगें लेकिन वे किसी दशा में उस हानि, कमी, नुकसान के लिए जिम्मेदार नही होगें जो कि उन वस्तुओं के क्षेत्राधिकार में पडे रहने पर होगा।

8. सभी कथित दरें स्थान तक एफ.ओ.आर. संस्था होनी चाहिए तथा उसमें सभी कर शामिल किये हुए होने चाहिए। स्थानीय वितरणों के मामले में भी सभी करों को शामिल किया जाना चाहिए तथा सरकार द्वारा उनके लिए कोई भी गाडी भाडा व्यय नही दिया जायेगा एवं माल की प्राप्ती कार्यालय गोदाम के दायरे के भीतर की जायेगी।

9. निविदा देने वाले व्यक्ति को, जिसकी की निविदा स्वीकृत किया गया है, आदेश देने की तारिख से सात दिन की अवधि के भीतर माल को वितरण करने की व्यवस्था करनी होगी। निविदा में दिखलाई गई मात्रा अनुमानित है । माल के वितरण की व्यवस्था विभाग की आवश्यकता के अनुसार करनी होगी।

10. सप्लाई का अनुबन्ध किसी भी समय भंग किया जा सकता है, यदि वितरण सरकार की संतुष्टि के अनुसार नही किया गया हो।

11. निविदा स्याही पेन से भरी जानी चाहिये । पेन्सिल या अन्य वस्तु से भरे गये निविदा पर विचार नही किया जायेगा। निविदा में कोई भी अभिवृद्धि एडिशन एवं परिवर्तन नही किये जाने चाहिए। कोई भी ओवर राइटिगं नही की जानी चाहिए। यदि कोई संशोधन करना है तो वह साफ होना चाहिये तथा उस पर उसके लघु हस्ताक्षर होने चाहिये ।

12. निविदा के साथ 12000/-- रूपये अमानत राशि के रूप में भेजने चाहिये। इसके बिना निविदाओं पर विचार नही किया जावेगा। धनराशि अधीक्षक,आ श्री एवं बालिका गृह, बीकानेर के पक्ष में निम्नलिखित रूपों में से किसी एक रूप में जमा करानी चाहिए।

1 ट्रेजरी चालान द्वारा नकद या बैंक रसीद ।

2 ट्रेजरी सेविंग्स डिपोजिट सर्टीफिकेट एवं नेशनल प्लान सर्टीफिकेटस प्रमाण पत्रों को उनकी सरेन्डर वेल्यु रकम, जो उस समय मिल सके पर स्वीकार किया जायेगा।

3 पोस्ट ऑफिस कैश सर्टीफिकेट ,

4 किसी सिड्यूल्ड बैंक की फिक्स्ड जमा रसीदें

local dish office samtosh nivida

यह अमानत राशि जिन व्यक्तियों की निविदा स्वीकार नही होगी , उन्हे निविदा की अन्तिम स्वीकृति होने की तारिख से एक माह के भीतर लोटा दी जावेगी। , जबकि जिन व्यक्तियों की निविदा स्वीकार की जायेगी, उनके मामले में इस प्रकार से जमानत के रूप में समझा जायेगा।

13. सफल निविदा को निर्धारित प्रपत्र में एक अनुबन्ध भरना होगा तथा संविदा की शर्तो को भली प्रकार से निभाने के लिए 30000/— रूपये जमानत के रूप में जमा कराना होगा। राहगत हुए संविदा के कार्य पुर्ण होने की तारिख से दो माह के बाद जमानत के बाद धनराशि लोटा दी जायेगी। ऐसी जमानत राशि पर विभाग द्वारा कोई ब्याज नही दिया जायेगा। अनुबन्ध को पूरा करने एवं उस पर स्टाम्प आदि को जो व्यय होगा , वह वितरक को करना पडेगा एव क्रयकर्ता अधिकारी को एक निःशुल्क अनुबन्ध की एक स्टाम्प लगी हुई एक प्रतिलिपि दी जायेगी।

14. फर्म को भुगतान करने हेतु राशि के प्रेषण में जो भी व्यय होगा वह फर्म द्वारा किया जावेगा।

15. यदि अनुमोदित वितरक निर्धारित विशिष्ट विवरण के अनुसार माल सप्लाई करने में असफल हो जाता है, या निर्दिष्ट अवधि के भीतर माल भेजने में असफल रह जाता है तो क्रयकर्ता अधिकारी को पुनः निविदा आंमत्रित करके या अन्यथा प्रकार से सप्लाई की व्यवस्था कराने की स्वतन्त्रता होगी। क्रयकर्ता अधिकारी अनुमोदित वितरक के लिए सप्लाई नही किए गये या छोडे गये वितरित रूप से शिकायत के माल को सप्लाई करने के लिए लिखित में सात दिन का नोटिस दे सकता है एवं यदि उस नोटिस की तामील होने की तारीख से सात दिन के भीतर ठेकेदार पालन करने में असफल रहता है एवं ऐसे मामलों से यदि क्रयकर्ता अधिकारी उचित समझता है तो उसके लिए उस सूरक्षित धनराशि को रोकना न्यायोचित होगा एवं वह जो भी सामान, जो ठेकेदार के प्रति बकाया होगा, उसे खरीदने के लिए व्यवस्था कर सकेगा तथा जो भी किसी अन्य अधिकरण एजेन्सी के जरिये माल के वितरण करने की व्यवस्था करने में सरकार द्वारा अधिक व्यय सहन करना पडे, वह उसकी अमानत राशि में से पूरा किया जावेगा।

16. सरकार किसी भी निविदा को स्वीकृत करने के अधिकार को अपने पास सुरक्षित रखती है। यह आवश्यक नही है कि वह निम्नतम निविदा को ही स्वीकार करे। वह किसी भी निविदा को उसके कारणों को बतलाये बिना रद्द कर सकती है। निविदा द्वारा आमन्त्रित की गयी मात्रा या वस्तुओं मे से सरकार के निर्णय पर उन पर सम्पूर्ण या आंशिक वस्तुओं या मात्रा के लिए आदेश दिये जा सकते है।

17. निविदा देने वाले के लिए अपने सम्बन्धित परिमण्डल के आयकंर अधिकार से एक आयकर चुकती प्रमाण पत्र एंव कर निर्धारण अधिकारी से बिक्री चुकती प्रमाण पत्र निविदा के साथ प्रस्तुत करना होगा। उसके अभाव मे निविदाओं पर विचार नही किया जा सकेगा। परन्तु शर्त यह है कि क्रय करने वाले अधिकारी के पास इस विश्वास करने के लिए प्रयाप्त कारण हों कि ये कारण अभिलिखित किये जायेगें निविदा देने वाला व्यक्ति किन्ही सत्यभूत कारण से आयकर चूकती बिक्री कर कर चूकती प्रमाण पत्र मे देने में असमर्थ रहा है तो प्राधिकारी निविदा पर विचार कर सकता है तथा निविदा देने वाले व्यक्ति से बाद में प्रमाण पत्र देने के लिए कह सकता है, लेकिन किसी भी मामले में यह प्रमाण पत्र उसे संविदा पर अनुबन्ध निष्पादित होन से पूर्व देना होगा।

18. किसी भी पार्टी सरकार या ठेकेदार द्वारा यदि किसी प्रकार की कानूनी कार्यवाही की जाने की आवश्यकता प्रतीत हो तो उसे बीकानेर के क्षेत्राधिकार न्यायालायों में चलाई जावेगी, न कि अन्यत्र चलाई जायेगी।

19. पार्टी द्वारा जिस सामग्री की दरें दी जावें, उसका नमूना निविदा के साथ संलग्न करना आवश्यक है। बिना नमुने के निविदा पर विचार नही किया जावेगा।

20. उक्त शर्त संख्या 16 और 17 के अनुसार एक केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के संस्थान को प्रतिभुति की राशि अथवा अमानत राशि जमा कराने की आवश्यकता नही है।

21. सफल निविदादाता से माल सप्लाई के बाद भुगतान के समय नियमानुसार देय कर टी.डी.एस. आदि की कटौति की जायेगी।

22. सामग्री सप्लाई का बिल संबन्धित फर्म द्वारा प्रति माह प्रस्तुत करने के बाद कोषालय से बिल पारित बाद भुगतान देय होगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर